

**बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड**  
(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक—बी.एस.एम.सी.एल.—

पटना, दिनांक—

प्रेषक,

राजेश कुमार,  
महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन),

सेवा में,

ब्रॉडसन कमोडेटिज प्रा०लि०,  
डॉ.हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड,  
कोईलवर चौक,आरा जिला—भोजपुर।

विषय:— आपके आवेदन Ref. nil दिनांक 19.02.2018 के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना,भोजपुर एवं सारण जिला के सीमा पर अवैध बालू का परिचालन रोकने हेतु आपको निम्नलिखित स्थानों पर आपके द्वारा चेक पोस्ट स्थापित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती हैं।

**शर्तें**

1. प्रत्येक चेक पोस्ट पर Android Phone उपलब्ध कराया जाय ताकि चालान का सत्यापन किया जा सके।
2. प्रत्येक चेकपोस्ट पर तीन पालियों में कर्मचारी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाय।
3. कार्यरत सभी कर्मियों को पहचान पत्र निर्गत किया जाय।
4. सभी चेकपोस्ट पर बंदोबस्तधारी के खर्च पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाय।
5. वैसे स्थान जहाँ घाटों से बालू लोड कर मेन रोड पर निकलने के पूर्व सी०सी०टी०भी० कैमरा की व्यवस्था की जाय।
6. बंदोबस्तधारी के कर्मियों के लिये पहचान के साथ वर्दी आपूर्ति की जाय।
7. चेकनाका स्थानों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जाय।
8. प्रत्येक केन्द्रों पर इन्टरनेट संचालन हेतु डोंगल की व्यवस्था की जाय।

**चेक पोस्ट का स्थान —**

	जिला
1.बबूरा के समीप बिना बास—बल्ला का चेक—नाका।	— भोजपुर।
2.शाहपुर,थाना—पटना के सामने।	— पटना।
3.तेतरिया मोड़, भोजपुर।	— भोजपुर।
4.बिहटा थाना के पास,	— पटना।
5.कनपा पुल, पटना।	— पटना।
6.महबलीपुर, पटना।	— पटना।
7.खैरा भोजपुर।	— भोजपुर।

विश्वासभाजन

ह०/—

(राजेश कुमार)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी—

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सह—प्रबंध—निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

प्रतिलिपि: पुलिस अधिक्षक, पटना, भोजपुर एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी- 01/रजा 80/18-68

पटना, दिनांक-

22/2/2018

प्रतिलिपि: समाहर्ता, पटना, भोजपुर एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित।

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

**बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड**  
(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक—बी.एस.एम.सी.एल.—

पटना, दिनांक—

प्रेषक,

राजेश कुमार,  
महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन),

सेवा में,

ब्रॉडसन कमोडेटिज प्रा०लि०,  
डॉ.हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड,  
कोईलवर चौक, आरा जिला—भोजपुर।

विषय:— आपके आवेदन Ref. nil दिनांक 19.02.2018 के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना, भोजपुर एवं सारण जिला के सीमा पर अवैध बालू का परिचालन रोकने हेतु आपको निम्नलिखित स्थानों पर आपके द्वारा चेक पोस्ट स्थापित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

**शर्तें**

1. प्रत्येक चेक पोस्ट पर Android Phone उपलब्ध कराया जाय ताकि चालान का सत्यापन किया जा सके।
2. प्रत्येक चेकपोस्ट पर तीन पालियों में कर्मचारी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाय।
3. कार्यरत सभी कर्मियों को पहचान पत्र निर्गत किया जाय।
4. सभी चेकपोस्ट पर बंदोबस्तधारी के खर्च पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाय।
5. वैसे स्थान जहाँ घाटों से बालू लोड कर मेन रोड पर निकलने के पूर्व सी०सी०टी०भी० कैमरा की व्यवस्था की जाय।
6. बंदोबस्तधारी के कर्मियों के लिये पहचान के साथ वर्दी आपूर्ति की जाय।
7. चेकनाका स्थानों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जाय।
8. प्रत्येक केन्द्रों पर इन्टरनेट संचालन हेतु डोंगल की व्यवस्था की जाय।

**चेक पोस्ट का स्थान —**

	जिला
1. बबूरा के समीप बिना बास—बल्ला का चेक—नाका।	— भोजपुर।
2. शाहपुर, थाना—पटना के सामने।	— पटना।
3. तेतरिया मोड़, भोजपुर।	— भोजपुर।
4. बिहटा थाना के पास,	— पटना।
5. कनपा पुल, पटना।	— पटना।
6. महबलीपुर, पटना।	— पटना।
7. खैरा भोजपुर।	— भोजपुर।

विश्वासभाजन

ह०/—

(राजेश कुमार)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पटना, दिनांक—

ह०/—

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी०—

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सह—प्रबंध—निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

01/रवा 80/18-68

पटना, दिनांक-

22/2/18

प्रतिलिपि: पुलिस अधिक्षक, पटना, भोजपुर एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

**बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड**  
(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक—बी.एस.एम.सी.एल.—

पटना, दिनांक—

प्रेषक,

राजेश कुमार,  
महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन),

सेवा में,

आदित्य मल्टीकॉम प्रा०लि०,  
वास्ते—शशि कुमार सिंह, होटल बन्दना के नजदीक,  
शिवगंगा, पाली रोड, डेहरी—ऑन—सोन,  
जिला—रोहतास।

विषय:— आपके आवेदन Ref. nil दिनांक 11.02.2018 के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रोहतास और औरंगाबाद जिला के सीमा पर अवैध बालू परिचालन रोकने हेतु आपको निम्नलिखित स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

**शर्तें**

1. प्रत्येक चेक पोस्ट पर Android Phone उपलब्ध कराया जाय ताकि चालान का सत्यापन किया जा सके।
2. प्रत्येक चेकपोस्ट पर तीन पालियों में कर्मचारी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाय।
3. कार्यरत सभी कर्मियों को पहचान पत्र निर्गत किया जाय।
4. सभी चेकपोस्ट पर बंदोबस्तधारी के खर्च पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाय।
5. वैसे स्थान जहाँ घाटों से बालू लोड कर मेन रोड पर निकलने के पूर्व सी०सी०टी०भी० कैमरा की व्यवस्था की जाय।
6. बंदोबस्तधारी के कर्मियों के लिये पहचान के साथ वर्दी आपूर्ति की जाय।
7. चेकनाका स्थानों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जाय।
8. प्रत्येक केन्द्रों पर इन्टरनेट संचालन हेतु डोंगल की व्यवस्था की जाय।

**चेक पोस्ट का स्थान**

	—	जिला
1. नासरीगंज, जमालपुर	—	रोहतास
2. मकरायन	—	रोहतास
3. कटार	—	रोहतास
4. एनीकाट	—	औरंगाबाद
5. ईगलीपुर	—	औरंगाबाद

विश्वासभाजन

ह०/—

(राजेश कुमार)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी०—

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सह—प्रबंध—निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

01/संख्या 80/18-69-

प्रतिलिपि: समाहर्ता, रोहतास एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पटना, दिनांक- 22/2/18

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

**बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड**  
(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक-बी.एस.एम.सी.एल.-

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

राजेश कुमार,  
महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन),

सेवा में,

आदित्य मल्टीकॉम प्रा०लि०,  
वास्ते-शशि कुमार सिंह, होटल बन्दना के नजदीक,  
शिवगंगा, पाली रोड, डेहरी-ऑन-सोन,  
जिला-रोहतास।

विषय:- आपके आवेदन Ref. nil दिनांक 11.02.2018 के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रोहतास और औरंगाबाद जिला के सीमा पर अवैध बालू परिचालन रोकने हेतु आपको निम्नलिखित स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

**शर्तें**

1. प्रत्येक चेक पोस्ट पर Android Phone उपलब्ध कराया जाय ताकि चालान का सत्यापन किया जा सके।
2. प्रत्येक चेकपोस्ट पर तीन पालियों में कर्मचारी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाय।
3. कार्यरत सभी कर्मियों को पहचान पत्र निर्गत किया जाय।
4. सभी चेकपोस्ट पर बंदोबस्तधारी के खर्च पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाय।
5. वैसे स्थान जहाँ घाटों से बालू लोड कर मेन रोड पर निकलने के पूर्व सी०सी०टी०भी० कैमरा की व्यवस्था की जाय।
6. बंदोबस्तधारी के कर्मियों के लिये पहचान के साथ वर्दी आपूर्ति की जाय।
7. चेकनाका स्थानों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जाय।
8. प्रत्येक केन्द्रों पर इन्टरनेट संचालन हेतु डोंगल की व्यवस्था की जाय।

**चेक पोस्ट का स्थान**

	—	जिला
1. नासरीगंज, जमालपुर	—	रोहतास
2. मकरायन	—	रोहतास
3. कटार	—	रोहतास
4. एनीकाट	—	औरंगाबाद
5. ईगलीपुर	—	औरंगाबाद

विश्वासभाजन

ह०/—

(राजेश कुमार)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन),  
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- बी०एस०एम०सी-

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सह-प्रबंध-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी-

प्रतिलिपि: समाहर्ता, रोहतास एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पटना, दिनांक- 22/2/18

ज्ञापांक- बी0एस0एम0सी- 01/रूबा/80/18-69

✓ प्रतिलिपि: पुलिस अधिक्षक, रोहतास एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)